

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 06.09.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-09 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

07 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा 03, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा 01, परसपुर पुलिस द्वारा 01, थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा 01, थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. शोभाराम पुत्र छेदीलाल नि0 ग्राम रसूलपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-237/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेश चौरासिया पुत्र शिवप्रसाद नि0 खजवा मौजा नरौरा भर्रापुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-298/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना कौडिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जटाशंकर नाऊ पुत्र जगजीवन नाऊ नि0 ग्राम कोचवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-174/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजकुमार चौहान पुत्र सतईराम नि0 चॉदपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-247/21, 02. जगदम्बा सोनी पुत्र ननकऊ नि0 चॉदपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-248/21, 03. शिवकुमार पुत्र रामसागर नि0 सेवठा बनगांव थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-249/21, 04. केसरी प्रसाद पाण्डेय पुत्र रामदुलारे पाण्डेय नि0 नकहरा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 12.5 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-250/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बब्लू गौतम पुत्र तुलसीराम नि० चमरटोलिया थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-689/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुनील कहार पुत्र रामदुलारे नि० ग्राम मोहम्मदपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-238/21, 02. रामऔतार पुत्र रामहेत नि० मोहम्मदपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-239/21, 03. प्रताप सिंह पुत्र शंकर सिंह नि० रूदौली सुवेदार पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-240/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.09.2021

चोरी के माल के साथ शातिर चोर गिरफ्तार, 01 नाजायज चाकू भी बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों/चोरो की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी करने के वांछित अभियुक्त रहीस को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के 03 टच स्क्रीन मोबाइल व 01 नाजायज चाकू बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 05.09.2021 की रात्रि वादी सूरज शुक्ला पुत्र बाबूराम शुक्ला नि० महाराजगंज जयप्रभा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के घर में घुसकर 03 मोबाइल चोरी किये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रहीस पुत्र मकसूद नि० महाराजगंज थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-228/21, धारा 380,411 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-230/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:—

01. मु०अ०सं०-20/18 धारा 41,380,411 भादवि जी०आर०पी० आनन्द नगर जनपद महाराजगंज।
02. मु०अ०सं०-157/18, धारा 379,411 भादवि थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर।

बरामदगी—

01. 03 टच स्क्रीन मोबाइल।
02. 01 नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० हरिद्वार तिवारी मय टीम।

